

69

न्यायालय:- श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर

मालोक कुमार श्रीवास्तव की
11-11-16



~~वका~~
11-11-16

P. 3854 - I-16

सेवकराम चौरसिया उम्र 3 साल पिता सुनके लाल चौरिया

साकिन दमोह

--- पुनरीक्षकर्ता

बनाम

502
11-11-16

① माधव प्रसाद चौरसिया उम्र 3 साल पिता लूले चौरसिया

साकिन दमोह

--- अनावेदक

② म.प्र. शासन
पुनरीक्षण क अंतर्गत धारा 50 मी राजस्व संहिता

Handwritten signature/initials

/x/ तथ्य /x/

अनावेदक ने खसरा नंबर 1386/25 रकवा 0.405 हे0के सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय दमोह के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था, जिसके आधार पर राजस्व प्र0क्र0 16अ/12 वर्ष 2015-16 कायम किया गया ।

महत्व पूर्ण विचारणीय तथ्य यह भी था, और है कि राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 1386/25 रकवा 0.405 हे. दर्ज ही नहीं था और ना हैं ।

सीमांकन कार्यवाही के दौरान आलोच्य आदेश के अक्कोन से सर्व प्रथम बार पता चला कि 1386/25 का बटांक नक्शे में दर्ज करने हेतु भी कार्यवाही हुई परन्तु इस प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 07.06.2016 से लेकर मौके पर संपूर्ण कार्यवाही हो जाने के पश्चात की आदेश पत्रिका दिनांक 04.08.

2016 तक बटांक करने हेतु कोई निर्देश या आदेश दिया ही नहीं गया था, और ना ही राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 03.08.2016 बटांक किया गया एवं पुंचनामा

सेवक शास | आदेश
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.38.5.4 :I.1.1.6.. जिला डालोड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-3-18	<p>आवेदक की ओर से सुपना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। अनामक 1 की ओर से की अर्ज पर पूर्ण डालोड उपर। अनामक 2 आसन की ओर से आर आदिपत्ता की समय पर पूर्ण उपस्थित। समय समय पर तीन बार आवेदक एवं आवेदक की मायक को पुकार मंगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। आवेदक से अनुपस्थित के कारण कारण। अदम पंजी से रोजाना रिज जाता है। कारण दायित्व रिज है।</p> <p style="text-align: right;">2 JOSHI</p>	<p style="text-align: right;">21-3-18</p>

3